न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–274/2026
मोरकाही थाना काण्ड सं0–24/2026
रामबाबू महतो एवं अन्य – बनाम् – राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
खगड़िया।

17.03.2026

आवेदक/अभियुक्तगण–**1. रामबाबू महतो, 2. आझुल देवी एवं 3. नितीश महतो** की ओर से मोरकाही थाना काण्ड सं0–24/2026, धारा–96, 352, 351(2), 3(5) BNS के अन्तर्गत दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका के अधीन, यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो शपथ–पत्र से समर्थित है, को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री अजीत कुमार की ओर से संचालित किया गया।

अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। BNS की धारा–96 को छोड़कर सभी कथित धाराएं जमानतीय हैं और यह धारा आवेदकगण के विरूद्ध सिद्ध नहीं होते हैं। पीड़िता को बरामद कर लिया गया है और कथित घटना में आवेदकगण का कोई हाथ नहीं है। आवेदकगण BNSS की धारा–482 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ दिये जाने का निवेदन करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

सूचिका रानी देवी के लिखित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षपे में यह है कि दिनांक 31.01.26 को रात्रि लगभग 01:00 बजे सूचिका की पुत्री (पीड़िता, उम्र–16 वर्ष) अपने घर से गायब हो गयी, जब सूचिका खोजबीन करने लगी तो दीवाना कुमार, रामबाबू महतो, आझुल देवी,

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–274/2026
मोरकाही थाना काण्ड सं0–24/2026

लगातार
17.03.2026

नितीश महतो ने शादी की नियत से भागने की सूचना मिल गयी। सूचिका नीतीश महतो के घर पर गयी और पूछी तो वह बोला कि केस करोगी तो जिन्दा जला दूंगा तथा किसी भी वक्त तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकती है, का धमकी दिया।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदक सहित अन्य सह–अभियुक्त दिवाना कुमार के विरूद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आवेदकगण इस काण्ड का नामित अभियुक्त हैं तथा इन पर अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर समान आशय से सूचिका की नाबालिक पुत्री (पीड़िता) को शादी की नियत से लेकर भाग जाने एवं केस करने पर जिन्दा जला देने की धमकी देने का गम्भीर आरोप है। प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता–सह–अपहृता कथित घटना के समय नाबालिग थी। आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं एवं मामले में अनुसंधान जारी है। कारित अपराध समाज एवं राष्ट्र के प्रतिकूल है, ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, मामले की प्रकृति एवं पीड़िता की उम्र को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	17.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	28.03.26
Uploading by	Nikhil Kumar 10:00